



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 261) पटना, मंगलवार, 13 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

13 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0-1-11/2010/लेज: 120—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 08 अप्रील, 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 10, 2010]

बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावना:—जबकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के विचार से बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत विशेष सुरक्षा दल मुहैया करायी जाती है।

जबकि उग्रवादियों एवं आतंकवादी संगठनों से अनुभूत खतरों को ध्यानगत रखते हुए यह उचित समझा गया है कि मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाय।

अतएव बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) में संशोधन आवश्यक हो गया है।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।— (1) यह अधिनियम, बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-4 का संशोधन। बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 की धारा-4 में

(i) उप-धारा-(2) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

“(2) विशेष सुरक्षा दल आसन्न सुरक्षा प्रदान करेगा:-

(क) मुख्य मंत्री।

(ख) मुख्य मंत्री के अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों।

(ग) पूर्व मुख्य मंत्रियों को पद त्याग की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए।

परंतु पूर्व मुख्यमंत्री पाँच वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् उचित सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके आवास एवं राज्य के अन्तर्गत यात्रा भ्रमण के दौरान, बुलेटप्रुफ वाहन इत्यादि के पात्र होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार अथवा इस संबंध में कोई आदेश निर्गत किया जायेगा।

परंतु यह और कि पदावधि को ध्यान में रखे बिना पूर्व मुख्य मंत्रीगण पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत सुरक्षित क्षेत्र में निःशुल्क सरकारी आवास के पात्र भी होंगे।”

(ii) एक नई उप-धारा-(3) को निम्नलिखित रूप से अंतःस्थापित किया जायेगा तथा विद्यमान उपधारा (3) एवं (4) उप-धारा (4) एवं (5) के रूप में क्रमांकित किया जायेगा—

“(3) यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री के अव्यवहित पारिवारिक सदस्य भी पूर्व मुख्य मंत्री रहे हों तो उप-धारा (2) की आवासीय एवं आवासीय सुरक्षा गार्ड प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को दोहराया नहीं जा सकेगा।”

13 अप्रैल 2010

सं0 एल0जी0-1-11/2010/लेज: 121—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2010 को अनुमत बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 10, 2010]
 THE BIHAR SPECIAL SECURITY GROUP (AMENDMENT) ACT, 2010
 AN
 ACT

PREAMBLE:—WHEREAS, with a view to provide adequate security to the Chief Minister, Ex-Chief Ministers and immediate family members of the Chief Minister, special security group is provided under the provision of Bihar Special Security Group Act 2000.

WHEREAS, in view of the perceived threat from extremists and terrorist group it is considered expedient to provide adequate security to the Chief Minister and Ex-Chief Ministers.

NOW THEREFORE, it is necessary to amend the Bihar Special Security Group Act 2000 (Bihar Act 8 of 2000).

BE it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty one year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title extent and commencement.*—(1) This Act may be called The Bihar Special Security Group (amendment) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment of Section -4 of Bihar Act 8, 2000.*—In Section 4 of The Bihar Special Security Group Act 2000 -

(i) Sub Section (2) shall be substituted as follows, namely-

“(2)The special security group shall provide proximate security to:-

(a) The Chief Minister,

(b) Immediate family members of the Chief Minister.

(c) Ex-Chief Ministers for a period of 5 years from the date they have demitted office.

Provided that on expiry of five years after demitting office, the Ex-Chief Ministers shall be entitled to adequate security by providing sufficient security personnel, at their residence and during their movement in journey throughout the state, bullet proof vehicles etc. in such manner as may be prescribed by the State Government in the rules or by issuance of an order to that effect.

Provided further that the Ex-Chief Ministers, irrespective of their tenure would also be entitled to a free government accommodation in the protected area within Patna urban area.”

(ii) A new Sub-Section (3) shall be inserted as follows and existing SubSection (3) and (4) shall be renumbered as Sub-Section (4) and (5) -

“(3) If any immediate family member of the Ex-Chief Minister has also been Ex-Chief Minister, the facilities of accommodation & house guard to be provided in Sub-Section (2) shall not be duplicated.”

By order of the Governor of Bihar,
 RAJENDRA KUMAR MISHRA,
 Secretary to the Government.